उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गुमला

अनुसूची – 14 – फारम सं0 – 563

आदेश – फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम – 129)

गुलाम मुस्तफा कुरैशी वगै0
बनाम
शिशिर कुमार शर्मा वगै0

आदेश फलक तारीख............से..............तक। जिला – गुमला

वाद सं0 :– 42/2016–17

वाद का प्रकार :– नामांतरण रिवीजन (Mutation Revision)

अपीलार्थी गुलाम मुस्तफा कुरैशी वो मो0 मोख्तार कुरैशी वो मो0 इबरार कुरैशी वो इस्तेखार कुरैशी पिता –स्व0 बदरुजमा कुरैशी एवं अली रहमान कुरैशी पिता–स्व0 मो0 मुस्ताक कुरैशी सभी निवासी ग्राम – बगडू रोड, कुरैशी मुहल्ला थाना – लोहरदगा जिला – लोहरदगा के द्वारा उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, गुमला द्वारा दाखिल खारिज नामांतरण अपील वाद सं0 – 15/2013–14 में पारित आदेश से विक्षुब्ध होकर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा प्रतिवेदित किया गया है यह रिवीजन वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय द्वारा नामांतरण अपील वाद सं0– 15/2013–14 में दिनांक–02.11.2016 को पारित आदेश के विरुद्ध लायी गई है।

विवादित भूमि मौजा–गम्हरीया खाता सं0–244 प्लॉट सं0–'446 रकबा–1.09 एकड़ सहित अन्य प्लॉट का आर0 एस0 खतियान 1932–33 में शामिलात शोभन कुवंर वगैरह के नाम से तैयार हुआ था। मोहर राम के उत्तराधिकारी मकेश्वर राम की पत्नी शोभन कुवंर को पार्टीशन सुट सं0–08/1914 जो 1944 में डिसाईड हुआ था उसमें हक प्राप्त था उसी के आधार पर शोभन कुवंर अपीलार्थी के पूवर्ज बदरु कुरैशी को डीड नं0–1628/52 के द्वारा 1.09 एकड़ भूमि की हस्तांतरण कर दी। शोभन कुंवर के द्वारा बदरु कुरैशी को जमीन्दारी रसीद भी निर्गत है।

रिवीजन वाद के अपीलार्थी गुलाम मुस्तफा कुरैशी वाद दाखिल करने के बाद मृत्यु हो गई थी जिसके उनके पुत्रों गुलाम मुहम्द कुरैशी, मो0 एजाज कुरैशी, शाबिर कुरैशी एवं रिजवान कुरैशी को प्रतिस्थापन किया जा चुका है जो अपीलार्थी सं0–1 के उत्तराधिकारी है।

विवादित भूमि मौजा गम्हरिया थाना नं0–04 खाता नं0–244 प्लॉट सं0–446 रकबा–1.09 एकड़ भूमि अपीलार्थी के पूर्वज बदरु कुरैशी जमीन्दार शोभन कुवंर पति मकेश्वर राय मिसीर से दिनांक–09.07.1952 को निबंधित पट्टा सं0–1626/52 के द्वारा खरीदगी कर शान्ति पूवर्क दखलकार रहें।

जमीन्दारी उन्मूलन से पहले अपीलार्थी के पूर्वज बदरु कुरैशी को उक्त खरीदगी जमीन के बैध मानते हुए जमीन्दारी रसीद निर्गत किया गया।

जमीन्दारी उन्मूलन के बाद अपीलार्थी के पूर्वज बदरु कुरैशी के नाम–1956 में ही पंजी ii में जमाबन्दी कायम हो गया।

अपीलार्थी के पूर्वज बदरु कुरैशी अपने जीवन काल में ही अपने खरीदगी जमीन खाता सं0–244 प्लॉट सं0–446 रकबा–1.09 एकड़ भूमि में से 0.05 एकड़ भूमि बुधराम लोहरा से दिनांक–11.01.2002 को रजिस्ट्री पट्टा सं0–98/02 के द्वारा बिकी किया जो म्यूटेशन वाद सं0–246 आर 27/10–11 के द्वारा दाखिल खारिज कारकर सरकार को मालगुजारी अदा करते आ रहा है।

अपीलार्थी के पूर्वज बदरु कुरैशी द्वारा बुधराम लोहरा को 0.05 एकड भूमि के बाद 1.04 एकड़ भूमि शेष रह गया।

अपीलार्थीगण के शेष 1.04 एकड़ भूमि में ही विपक्षी शिशिर कुमार शर्मा खाता नं0–244 प्लॉट नं0–446 रकबा–0.40 एकड़ भूमि को अपीलार्थी सं0–1, 4 एवं 5 के पिता से रजिस्ट्री पट्टा सं0–561/11 द्वारा दिनांक–23.02.2011 को खरीदगी किया है जो साबित करता है कि वादग्रस्त जमीन अपीलार्थीगण का है। इस तरह 0.64 एकड भूमि का स्वामित्व अपीलार्थीगण को प्राप्त है।

उत्तरवादी 0.40 एकड भूमि अपीलार्थीगण से खरीदगी के बाद अचानक दावा करता है कि उनके पिताजी पुराणीक ईश्वर शर्मा खाता नं0–244 प्लॉट सं0–446 रकबा–1.04 एकड़ मौजा–गम्हरिया को जमीन को मो0 देवन कुवंर जौजे दामोदर राम मिश्रा से दिनांक–28.10.1964 को रजिस्ट्री पट्टा सं0–2192/64 से खरीदगी किया है और म्यूटेशन वाद सं0–45 आर 27/75–76 के द्वारा म्यूटेशन भी स्वीकृत है। इस पर उनका कथन है कि यदि विपक्षी के पिता बैध मालिक से वर्ष 1964 में ही 1.04 एकड खरीदगी किया था तो फिर वर्ष 2011 में 0.40 एकड़ भूमि विपक्षी अपीलार्थीगण से क्यों खरीदगी किया चूँकि उत्तरवादी को पता है कि अपीलार्थीगण को बिकी करने वाली शोभन कुवंर ही बैद्य मालिक थी न कि उत्तरवादी के पिता की बिकी करने वाली देवन कुवंर ।

उत्तरवादी के पिता के नाम से 1964 में जमांबदी कायम थी तो सेम खाता प्लॉट की जमीन का जमाबंदी अपीलार्थी के पूर्वज के नाम से कैसे कायम हुआ। अंचल अधिकारी घाघरा के द्वारा पत्रांक–201 दिनांक–25.03.14 से प्राप्त सूचना से भी ज्ञात है कि अपीलार्थी के पूर्वज का खाता सं0–244 के पंजी ii के पृष्ट सं0–'103 ii में बदरु कुरैशी का नाम रैयत में दर्ज है जो 1975–76 से मांग वसूल हो रहा है एवं 2010–11 तक मालगुजारी वसूल किया गया है। ऐसी परिस्थिति में अंचल अधिकारी घाघरा के द्वारा एक ही जमीन का दोहरा जमाबंदी किस आधार पर चलाया जाता रहा है।

विपक्षी के द्वारा घाघरा अंचल के मौजा–गम्हरिया के खाता सं0–244 प्लॉट सं0–446 रकबा–1.04 एकड़ भूमि का दाखिल खारिज का वाद दाखिल किया गया जिस जमीन पर अपीलार्थी का दखल कब्जा है और अपीलार्थीगण का जमाबंदी भी कायम है परन्तु अपीलार्थी को बिना नोटिस किए विपक्षी का आवेदन पर दाखिल खारिज वाद सं0–93 आर 27/12–13 वाद खोला गया और दखल का अभाव रहते हुए भी फर्जी तरीके से विपक्षी का दखल कब्जा दिखाकर उसका म्यूटेशन वाद सं0–93 आर 27/12–13 को स्वीकृत कर दिया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गुमला के न्यायालय में नामांतरण अपील वाद सं0–15/13–14 दाखिल किए जिसे बिना गुण–अवगुण पर विचार किए हुए वाद को खारिज कर दिया गया।

विपक्षी के नाम घाघरा अंचल में म्यूटेशन वाद सं0–93 आर 27/12–13 को स्वीकृत किया गया है जबकि अभी अपीलार्थी के पूर्वज के नाम वाद भूमि का जमाबंदी कायम है और वर्ष–2010–11 तक मांग भी वसूली किया गया है जो घाघरा अंचल के पत्रांक–201/21 दिनांक–25.03.2014 द्वारा सूचना दी गई है।

अपीलार्थी के पूर्वज बदरु कुरैशी के नाम से घाघरा अंचल में 1956 से जमाबंदी कायम है परन्तु अंचल के द्वारा बतलाया जा रहा है कि बदरु कुरैशी के नाम 1975–76 में पंजी में रैयत व नाम दर्ज है यदि 1975–76 को सही मान लिया जाय तो भी बदरु कुरैशी के नाम से

38 वर्ष से जमाबंदी कायम होता आया है ऐसी परिस्थिति में लम्बें समय से चल रहे जमाबंदी को रेभेन्यू कोर्ट रद्द नही कर सकता है जबकि इस मामले में अभी तक अपीलार्थी के पूर्वज के नाम कायम जमाबंदी को रद्द नही किया गया है।

अपीलार्थी के पूर्वज बदरु कुरैशी 1.09 एकड़ जमीन में से 0.05 एकड़ भूमि बुधराम लोहरा को एवं 0.40 एकड़ भूमि विपक्षी शिशिर कुमार शर्मा को बिक्री की गई जिसके बाद शेष 0.64 एकड़ भूमि शेष रह गई थी। बदरु कुरैशी के मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों द्वारा 0.64 एकड़ भूमि का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज हेतु आवेदन दिनांक–04.02.2013 को दिया गया तब अंचल के कर्मचारी द्वारा अपीलार्थी के आवेदन पर कोई कार्यवाही नही करते हुए विपक्षी के नाम म्यूटेशन स्वीकृत कर दिया गया।

यह कि विपक्षी का दावा है कि उसके पिता पौराणिक ईश्वर शर्मा विवादित भूमि को 1964 में खरीदगी किए है जबकि अपीलार्थी के पूर्वज का खरीदगी डीड सं0–1952 का है। विपक्षी के पिता द्वारा अभी भी अपीलार्थी के पूर्वज के 1952 के खरीदगी डीड को किसी भी न्यायालय में चुनौती नही दी गई है।

यह कि अपीलाथी के पूर्वज बदरु कुरैशी के नाम से जमाबंदी कायम रहते उसे विवादित भूमि का दोहरा जमाबंदी विपक्षी के नाम खोला गया है जो विधि के विरुद्ध है। अंचल अधिकारी घाघरा में स्वीकृत म्यूटेशन वाद सं0–93 आर 27/12–13 में पारित आदेश रद्द करते हुए भूमि सुधार उप समाहर्त्ता गुमला के न्यायालय में म्यूटेशन अपील वाद सं0–15/13–14 को निरस्त करते हुए अपीलार्थी वगै0 के नाम 0.64 एकड़ भूमि का उत्तराधिकारी दाखिल खारिज किए जाने हेतु इस रिवीजन को स्वीकृत करते हुए आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया है।

अपीलार्थी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1 खतियान की छाया प्रति।
2 निबंधित पट्टा सं0–1628 वर्ष 1952 की छायाप्रति।
3 जमीनदारी मालगुजारी रसीद की छाया प्रति।
4 अंचल अधिकारी घाघरा द्वारा निर्गत मालगुजारी रसीद वर्ष–1959–60 से लेकर वर्ष–2010–11 तक की छाया प्रति।
5 निबंधित पट्टा सं0–98 दिनांक–11.01.2002 की छाया प्रति।
6 मालगुजारी रसीद सं0–631646 एवं 3173025 की छाया प्रति।
7 शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
8 निबंधित पट्टा सं0–561 दिनांक–23.02.2011 की छाया प्रति।
9 सूचना अधिकार अधिनियम के तहत् पत्रांक–201/रा0 दिनांक–25.03.2014 को उपलब्ध सूचना की छाया प्रति।
10 CWJC No. 1123/99 रामेश्वर दूबे बनाम बिहार सरकार का झारखण्ड उच्च न्यायालय का पारित आदेश की छाया प्रति।
11 पार्टिशन सूट 8/1944 का सब ऑडिनेट एडिशनल जज ii राँची द्वारा पारित डिक्री दिनांक–15.07.1950 की छाया प्रति।

उत्तरवादी का पक्ष

उत्तरवादी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि विवादित भूमि खाता नं0–244 प्लॉट नं0–446 रकबा–1.09 एकड़ ग्राम गम्हरिया थाना–घाघरा जिला–गुमला अवस्थित है।

यह कि खाता सं0–244 बकास्त मालिक जमीन है जिसका खेवट सं0–20 एवं थाना सं0–44 है संबंधित भूमि को खेवट सं0–20 के शामिल खेवट ii मो0 देवन कुमार जौजे दामोदर राम मिश्रा मालिक थे, जो खेवट सं0–20 से स्पष्ट होता है। खेवट सं0–ii क्रमशः सूची सं0–1 एवं 2 के छाया प्रति दाखिल किया जा रहा है।

मसो0 देवन कुवर जौजे दामोदर राम मिश्रा जो इस जमीन के वैध मालिक थे उनसे पौराणिक ईश्वर शर्मा उत्तरवादी के पिता दिनांक–28.10.64 रजिस्ट्री बिकी लिया गया है, तथा म्यूटेशन वाद सं0–45 आर 27/75–76 के द्वारा दिनांक–14.07.1975 में बिकी पट्टा 1.04 एकड़ का लगान देते आ रहे है, दखल कब्जा वर्ष–1964 ई0 से ही बरकरार है। हाल सर्वे का बण्डा पर्चा भी पौराणिक ईश्वर शर्मा के नाम से बना है।

पौराणिक ईश्वर शर्मा अपने जीवन काल में सरकार को लगान देते रहे तथा दखल कब्जे में रहकर उसमें बांस का पेड एवं बाग बगीचा लगाये।

पौराणिक ईश्वर शर्मा के मृत्यु के पश्चात केश सं0–98 आर 27/12–13 दिनांक–24.11.2012 उत्तराधिकारी दाखिल खारिज कराकर उनके पुत्र शिशर कुमार शर्मा सरकार को लगान देते चले आ रहें है तथा शान्ति पूर्वक दखल कब्जे में है।

अपीलार्थी द्वारा लाया गया यह मुकदमा आधारहीन है, तथा इसमें कोई मेरिट नही है।

अपीलार्थी द्वारा लाया गया वाद में कहा गया है कि 9.7.1952 को विवादित खाता सं0–244 प्लॉट सं0–446 रकबा–1.09 एकड़ भूमि भूतपूर्व जमीनदार सोभन कुवंर से खरीदे है तथा जमीनदार को लगान देते चले आ रहे है ये वाद में जमींदारी समाप्त होने के बाद सरकार को लगान देते चले आ रहे है लेकिन शोभन कुवंर से खरीदने का कोई भी कागजात अपीलार्थी के पास नही है तथा रजिस्ट्री बंदोबस्ती फर्जी है।

ग्राम गम्हरिया के खेवट सं0–20 तथा खाता सं0–244 का मालिकाना हक शोभन कुवंर को प्राप्त नही था और सोभन कुवंर का खेवट में नाम दर्ज नही है इस तरह शोभन कुवंर का मालिकाना हक उस जमीन पर नही था। उनके द्वारा अपीलार्थी को किया गया रैयती बंदोबस्ती गैरकानुनी है।

उत्तरवादी के और से सूचना के आधिकार के अन्तर्गत जानकारी मांगी गई थी जिसमें अंचल अधिकारी घाघरा के द्वारा जानकारी दिया गया कि खाता सं0–244/05 पंजी ii में रैयत का नाम बदु कुरैशी पिता चारअली कुरैशी दर्ज है तथा प्लॉट सं0 तथा रकबा दर्ज नही है। जबकि सूचना का अधिकार के बिन्दु नं0–2 में स्पष्ट रुप से सूचना दी गई है कि खाता सं0–244 रकबा–1.04 एकड़ प्लॉट सं0–446 पूर्व में पौराणिक ईश्वर शर्मा के नाम से दर्ज था तथा नया जमाबंदी अभी शिशिर कुमार शर्मा के नाम दर्ज है।

शोभन कुवंर के द्वारा बंदोबस्ती किया गया जमीन का एक मुकदमा माननीय झारखण्ड हाईकोर्ट में सी0डब्लू0जे0सी0 नं0–1123/1999 आर रामेश्वर दुबे बनाम स्टेट ऑफ बिहार वगै0 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट माना गया है कि ग्राम–गम्हरिया में सोभन कुवंर के द्वारा बंदोबस्त किया गया जमीन गैरकानुनी था।

अपीलार्थी के द्वारा अपील के पारा 03 में कहा गया है कि विवादित प्लॉट 446 रकबा–0.05 एकड़ अपीलार्थी के द्वारा बुधराम लोहरा को बेचा गया जिसका दाखिल खारिज हो गया है। स्पष्ट है कि उत्तरवादी कुल रकबा–1.09 एकड़ में से 1.04 एकड़ ही खरीदा है बाकी उनको 0.05 एकड़ से कोई मतलब नही है।

पारा 3 में अपीलार्थी का यह भी कहना है कि सेल डीड सं0–561 दिनांक–23.02.2011 को अपीलार्थी से उत्तरवादी 0.40 एकड़ विवादित जमीन खरीदे है अपीलार्थी द्वारा धोखाधडी से यह काम किया गया है। अपीलार्थी का इस विवादित जमीन पर पूर्व एवं वर्त्तमान में किसी तरह का भी कोई दखल नही है।

अपीलार्थी के पूर्वज के पास अंचल द्वारा दाखिल खारिज करने का कोई भी प्रमाण नही है।

उत्तरवादी के द्वारा अपीलार्थी के अपील को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उत्तरवादी के द्वारा अपने दावे के समर्थन में निम्नलिखित कागजातों की छायाप्रति भी संलग्न किया गया है, जो निम्नांकित है :–

1 खेवट सं0–20 एवं 11 की छाया प्रति।
2 बण्डा पर्चा की छायाप्रति।
3 शुद्धि पत्र की छाया प्रति।
4 माननीय झारखण्ड न्यायालय द्वारा पारित आदेश की छाया प्रति।

उभय पक्षों के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत दस्तावेजों एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि खेवट सं0–20 एवं 11 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत खाता सं0–244 भूतपूर्व जमीनदार मसोमात देवन कुंवर जौजे दामोदर राम मिश्रा वगै0 के रुप में दर्ज है, तथा सम्पूर्ण संबंधित खेवट के अवलोकन से विदित होता है कि शोभन कुंवर का नाम प्रश्नगत खेवट में दर्ज नही है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय रॉची द्वारा C.W.J.C No-1123 of 1999 (R) में पारित आदेश में वर्णित किया गया है कि मौजा–गम्हरिया की सम्पति शोभन कुंवर का कोई अधिकार नही है। वर्त्तमान सर्वे का भी बण्डा पर्चा उत्तरवादी के हित में निर्गत है जो कि प्रश्नगत भूमि का विधिक दखल को प्रमाणित करता है। इस तरह से अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत प्रतीत होता है।

अतः निम्न न्यायालय के पारित आदेश को बहाल रखते हुए म्यूटेशन रिवीजन वाद को अस्वीकृत किया जाता है। आदेश की प्रति निम्न न्यायालय को मूल अभिलेख सहित संबंधित अंचल अधिकारी को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

17.05.22

उपायुक्त,
गुमला

17.05.22

उपायुक्त,
गुमला

Digitally signed by SUSHANT GAURAV
Date: 2022.07.30 12:41:45 +05:30
Location: 192.168.5.101